



2026: AHC : 38604

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7047 वर्ष 2026

उमाकांत दुबे

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दिवाकर प्रसाद शुक्ला

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित होता/होती है, तो वह रिकॉल आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।
3. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील गोला, जिला गोरखपुर को वाद संख्या 3925 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202505310703925) में दायर पुनर्स्थापन आवेदन (रेस्टोरेशन एप्लीकेशन) को शीघ्रता से तय करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि काफी समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, तहसील गोला, जिला गोरखपुर को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उक्त वाद में दायर पुनर्स्थापन आवेदन को कानून के अनुसार सख्ती से और अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद तय करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।